

## लोक सुनवाई का वृत्त।

श्री स्नेहल राय, पिता: स्व. कृष्णा प्रसाद, ग्राम-पथरा इंग्लिश, पोस्ट-ओढ़नपुर, पी.एस. -मुफ़सिल, जिला-नवादा-805123 द्वारा ननौरा बालू घाट (ब्लॉक: 17) खुरी नदी स्थित, मौजा-ननौरा, अंचल-नवादा, जिला-नवादा अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 23.09.2023 को अपराहन 12:30 बजे अंचल कार्यालय, नवादा, जिला-नवादा के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वार निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2445/2023, dated 01.07.2023 के आलोक में श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, नवादा (जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दिनांक 23.09.2023 को अपराहन 12:30 बजे अंचल कार्यालय, नवादा, जिला-नवादा में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 22.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा ननौरा बालू घाट (ब्लॉक: 17) खुरी नदी स्थित, मौजा-ननौरा, अंचल-नवादा, जिला-नवादा के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से


अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 2 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-


क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री कुदंन कुमार, पता: ननौरा, जिला: नवादा।	इनके द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन अवधि में कम-से-कम 130 पेड़-पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। इसप्रकार श्री कुदंन कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री विकास कुमार, पता: मिर्जापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू खनन उपरांत तेज रफ्तार से वाहनो का संचालन एवं पानी छिड़काव से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि खनन कार्य से लदे वाहनो के चालक द्वारा बालू से लदे वाहनो को तेज रफ्तार में नहीं चलाया लायेगा। साथ ही बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। इसप्रकार श्री विकास कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री विनय कुमार, पता: मिर्जापुर, जिला: नवादा।	इनके द्वारा अवैध बालू खनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा एवं लेसी द्वारा आश्वासन दिया गया कि अवैध रूप से बालू का खनन नहीं किया जायेगा। जो भी बालू का खनन किया जायेगा वह सरकार के

		प्रावधानो के अनुरूप नियमानुसार किया जायेगा। इसप्रकार श्री विनय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री अंकित कुमार सिंह, पता: ननौरा, जिला: नवादा।	इनके द्वारा बालू खनन से स्थानीय लोगो को क्या लाभ मिलेगा; इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा साथ ही बालू खनन होने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगा। इसप्रकार श्री अंकित कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

लोक सुनवाई में उपस्थित आमजन के द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं दिये गये सुझाव की गम्भीरता को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 2 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।







जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,  
गया

  
अपर सभाहर्ता,  
नवादा

उपस्थिति सूची

श्री स्नेहल राय, पिता: स्व. कृष्णा प्रसाद, ग्राम-पथरा इंग्लिश, पोस्ट-ओढ़नपुर, पी.एस.-मुफस्सिल, जिला-नवादा-805123 (ननौरा बालू घाट (ब्लॉक: 17) खुरी नदी स्थित, मौजा-ननौरा, अंचल-नवादा, जिला-नवादा) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 23.09.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में अंचल कार्यालय, नवादा, जिला-नवादा में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ujjwal Kumar Singh	ADM, NAWADA	
2.	Mansuzangam K. Singh	R.O. B.S.P.C. Bonyas	
3.	MUKESH KUMAR	MDs, Nawada	
4.	Pranank. Roy	Law. Consultant	
5.	देवराज कुमार <del>Ronit</del> 7033836049	बलेश्वर	देवराज कुमार
6.	Kundan Kumar	ननौरा	
7.	रुद्रेश	लोहारी नगर	75418487 रुद्रेश
8.	Dinesh Kumar 7324824707	पाण्डे विगाट	
9.	अनुराग कुमार	ननौरा	Anand Kumar

10	7277322089 Rohit-Kumar	जनौरा	Rohit Kumar
11	9972121269 Sapan Kumar	श्वेतचन्द्र विहार	Sapan Kumar
12	7492925350 Sachin Raj Shinde	मिर्जापुर	Sachin Kumar
13	9798 238403 पवन कुमार	जनौरा	पवन कुमार
14	7857905654 OMIRAR. KUMAR	जनौरा	omidas. kumar
15	8789651023 Raushan Kumar	मिर्जापुर	Raushan Kumar
16	8102505746 mitish Kumar	मिर्जापुर	mitish Kumar
17	980733296 manish Kumar	Mirzapur	manish Kumar
18	7482958780 Rajesh Kumar	जनौरा	
19	8825268183 Abhinav Kumar	Mirzapur	Abhinav
20	अनिल कुमार 7633081744	जौरेना	अनिल कुमार

Rohit  
Rajam

21.	विजय कुमार 9931289353	मिर्जापुर	Vijay kr
22.	दशरथ शर्मा	नैनीताल	दशरथ शर्मा
23.	Golden Kumar	Dabraul	Golden kr.
24.	Rakesh Kumar	Hanbhayanagar	Rakesh kr.
25.	अमित कुमार	खेमचन विठ्ठा	★
26.	Kamlesh Kumar 8709560889	मिर्जापुर	Kamlesh Kumar
27.	SHANIKAR KUMAR 7876854382	RASALPURA.	Shankar Kumar
28.	Vitash Kumar 9122139141	Widger-y menaheraj	Vitash Kumar
29.	Zaibkhan Kumar 6205852117	Mirzapur	Zaibkhan 28/09/23
30.			
31.			